अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanavvnl2017@gmail.com

क्र. अविविनिलि/अति.मु.अभि./अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2018–19/प्रे. 109 दि 9/5/19

आदेश

विषयः–कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 5.1, 5.2, 7.1.3 में संशोधन करने के संबंध में।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(4)ऊर्जा/2014 जयपुर दिनांक 11.06.2018 के क्रम में कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 5.1, 5.2, 7.1.3 को निम्न प्रावधान से पुनः स्थापित किया जाता हैः–

5 नये कृषि कनेक्शन हेतु तकनीकी साध्यता

5.1 पारदर्शिता हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी। कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुऐं/बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले निकटतम ब्लॉक सप्लाई 11 के.वी. फीडर से ही जारी किये जावेंगें। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर ब्लॉक सप्लाई फीडर दूरस्थ स्थित है व 24 घंटे सप्लाई वाला फीडर पास में स्थित है ऐसी स्थिति में न्यूनतम दूरी वाले 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगें जिसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (पवस), द्वारा यह सत्यापित किये जाने के पश्चात जारी की जावेगी कि संबंधित कनेक्शन को तकनीकि एवं आर्थिक रुप से ब्लॉक सप्लाई से दिया जाना साध्य नहीं है। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नही है तो अनुच्छेद 5.2 के अनुसार फीडर सुधार करने के पश्चात ही कृषि कनेक्शन देय होगा। 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन जारी करने पर यह सुनिश्चित किया जाये की मीटरिंग सही हो व बिलिंग भी 24 घंटे सप्लाई के अनुसार हो।

5.2 11 के.वी.फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नही होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेगे।

7 तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता

7.1.3 सामान्य योजना के अन्तर्गत निम्न संवर्गों के आवेदकों को तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता प्रदान की जायेगी बशर्ते भूमि का स्वामित्व जिस पर कनेक्शन हेतु आवेदित किया गया है, कम से कम उसके नाम दो वर्ष से है। मांग पत्र व कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता बिन्दु संख्या 7.1.1 के अनुरूप रहेगी। अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को एक बार ही एक कनेक्शन पर देय होगा।

- कार्यरत या भूतपूर्व सैनिक या उसकी पत्नी;
- राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिको को;
- शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलांग;

- निगम कर्मचारियों;
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसान जो 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करते है।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी मे जहाँ सेम (WATERLOGGING) की समस्या है वहाँ 5 एच.पी. तक कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले कृषकों को इसके लिये आवेदक को सम्बन्धित विभाग से इस आशय का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनेक्शन में भार वृद्वि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनेक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आयेगी उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगें।

(एस.एस. मीना)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2 सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर ।
4 प्रबंध निदेशक, जयपुर /जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनू
6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर/ई बी टी./ आई.ए.–डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डबल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अविविनिलि अजमेर ।
10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपार्टल पर अपलोड करने हेतु ।
11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/ डूंगरपुर/चितौडगढ /प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर ।
12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13 प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
14 प्रावेधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
15 प्रावेधिक–सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
16 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
17 अधिशाषी अभियन्ता (......................) अविविनिलि,.............................
18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र मे प्रकाशित करने हेतु ।
19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि, अजमेर
21 प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर